

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनांक: 07-07-2025

विषय सूची

- » GNIP के लिए भूकंप का आकलन
- » मातृभाषा में पढ़ाई से सुदृढ़ मूल्यों का विकास होता है: CJI
- » ब्राज़ील में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन
- » विश्व के सर्वाधिक समान समाजों में भारत चौथे स्थान पर
- » सहकारिता: भारत की आर्थिक रीढ़
- » भारत में घरेलू बचत में गिरावट पर चिंता
- » भारत के विदेशी व्यापार में 'अद्वश्य शक्ति'

संक्षिप्त समाचार

- » हेलोलैंड
- » ताइवान जलडमरुमध्य
- » ब्लू नील
- » राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM)
- » NMC द्वारा चिकित्सा शिक्षा के बुनियादी ढांचे पर नियमों में छूट

GNIP के लिए भूकंप का आकलन

संदर्भ

- ग्रेट निकोबार इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट (GNIP) के लिए किए गए पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (EIA) अध्ययन में भविष्य में भूकंप और 2004 जैसी सुनामी की आशंका को कम करके आंका गया है।

परिचय


- GNIP के अंतर्गत ग्रेट निकोबार द्वीप (GNI) में एक ट्रांस-शिपमेंट पोर्ट, एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, टाउनशिप विकास, और 450 मेगावोल्ट-एंपियर (MVA) की गैस और सौर ऊर्जा आधारित पावर प्लांट की योजना है।
 - इस परियोजना को केंद्र सरकार द्वारा पर्यावरण और प्रारंभिक वन स्वीकृति प्रदान की गई है।

चिंताएं


- जैवविविधता की संभावित हानि, वृक्षों की कटाई और निवास करने वाली जनजातियों पर प्रभाव को लेकर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने परियोजना के पर्यावरणीय पहलुओं की समीक्षा का आदेश दिया है।
- 2004 की हिंद महासागर सुनामी-भूकंप के दौरान यह क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक था।
- यह क्षेत्र भूकंपीय श्रेणी पांच में आता है, जो सबसे उच्च जोखिम वाला क्षेत्र है, क्योंकि भारतीय प्लेट अंडमान ट्रैक के साथ बर्मी माइक्रोप्लेट के नीचे खिसकती है, जिसे “क्षेपण” कहा जाता है।

भूकंप

- भूकंप क्या है?** भूकंप पृथ्वी की सतह का तीव्र कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी की बाहरी परत में होने वाली गतिविधियों के कारण होता है।
- पृथ्वी चार मुख्य परतों से बनी है: ठोस क्रस्ट, गर्म और लगभग ठोस मैटल, तरल बाहरी कोर और ठोस आंतरिक कोर।



- ठोस क्रस्ट और कठोर ऊपरी मैटल मिलकर लिथोस्फीयर बनाते हैं।
 - लिथोस्फीयर टेक्टोनिक प्लेटों से बनी होती है, जो धीरे-धीरे मैटल पर तैरती रहती हैं।
- यह निरंतर गति पृथ्वी की सतह पर तनाव उत्पन्न करती है, जिससे दरारें (faults) बनती हैं।
 - जब यह तनाव बहुत अधिक हो जाता है, तो भ्रंश लाइन पर अचानक गति होती है, जिससे भूकंप आता है।
- एपिसेंटर:** भूकंप की शुरुआत जिस स्थान से होती है, उसे एपिसेंटर कहते हैं। भूकंप का सबसे तीव्र कंपन आमतौर पर एपिसेंटर के पास महसूस होता है।



भूकंप का मापन

- भूकंप से उत्पन्न ऊर्जा पृथ्वी में कंपन (seismic waves) के रूप में यात्रा करती है।
- वैज्ञानिक इन तरंगों को सिस्मोमीटर नामक यंत्र से मापते हैं।
- मापन की इकाइयाँ:**
 - रिक्टर स्केल:** भूकंप की तीव्रता को 0 से 10 के पैमाने पर मापता है।
 - मर्कल्ली स्केल:** भूकंप से हुए दृश्य नुकसान के आधार पर तीव्रता को मापता है।


सिस्मिक वेब्स (भूकंपीय तरंगें)

- भूकंप से उत्पन्न ऊर्जा तरंगें पृथ्वी की परतों से होकर गुजरती हैं और सतह को हिला देती हैं। इन्हें दो मुख्य प्रकारों में बांटा जाता है:
 - बॉडी वेब्स (Body Waves):**
 - ये पृथ्वी के आंतरिक भागों से होकर गुजरती हैं।

- ये तेज होती हैं और सतही तरंगों से पहले आती हैं।
- ▲ **सरफेस वेब्स (Surface Waves):**
 - ये पृथ्वी की सतह पर चलती हैं।
 - ये धीमी होती हैं लेकिन इनकी अम्प्लीट्यूड अधिक होती है, जिससे ये अधिक हानि करती हैं।


बॉडी वेब्स के प्रकार:

- **P-तरंगें (प्राथमिक तरंगें):**
 - ▲ सबसे तीव्र होती हैं और सर्वप्रथम दर्ज की जाती हैं।
 - ▲ ये संपीड़न (compressional) या अनुदैर्घ्य (longitudinal) रूप में चलती हैं।
 - ▲ ये ठोस, तरल और गैस सभी माध्यमों से गुजर सकती हैं।
- **S-तरंगें (द्वितीयक तरंगें):**
 - ▲ ये अनुप्रस्थ (transverse) होती हैं, अर्थात् कण तरंग की दिशा के लंबवत गति करते हैं।
 - ▲ ये केवल ठोस माध्यमों से गुजर सकती हैं, क्योंकि तरल और गैस में shear stress नहीं होता।



भारत में भूकंप की संवेदनशीलता

- भारत का लगभग 58.6% भूभाग मध्यम से लेकर अत्यधिक तीव्रता वाले भूकंपों के प्रति संवेदनशील है।
- देश को चार भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है:
 - ▲ **Zone V:** सबसे अधिक सक्रिय क्षेत्र (~11%)
 - ▲ **Zone IV:** उच्च जोखिम (~18%)
 - ▲ **Zone III:** मध्यम जोखिम (~30%)
 - ▲ **Zone II:** सबसे कम जोखिम वाला क्षेत्र (बाकी भाग)



Source: TH

मातृभाषा में पढ़ाई से सुदृढ़ मूल्यों का विकास होता है: CJI

संदर्भ

- हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश ने मातृभाषा में शिक्षा के स्थायी महत्व को रेखांकित किया, इसे व्यक्तिगत विकास और नैतिक आधार का एक मूल स्तंभ बताया।

परिचय

- भाषा एक व्यापक शब्द है, जिसमें विभिन्न मातृभाषाएँ शामिल होती हैं।
- भारत भाषाई रूप से विविध देश है और विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है — जहाँ 1,300 से अधिक मानकीकृत मातृभाषाएँ और 122 प्रमुख भाषाएँ हैं, जिन्हें प्रत्येक 10,000 से अधिक लोग बोलते हैं।
- प्राचीन गुरुकुलों और मदरसों में छात्र संस्कृत, पाली, फारसी या क्षेत्रीय बोलियों के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करते थे।
- हालाँकि, औपनिवेशिक शिक्षा नीतियों ने अंग्रेजी को प्रमुख माध्यम बना दिया, जिससे देशी भाषाओं को हाइड्रेपर डाल दिया गया और एक भाषाई अंतर उत्पन्न हुआ जो आज भी बना हुआ है।
- मातृभाषा आधारित शिक्षा की पहल केवल एक शैक्षणिक परिवर्तन नहीं है — यह एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण है।

- भाषा केवल एक माध्यम नहीं थी — यह मूल्यों, पहचान और स्वदेशी ज्ञान की संवाहक थी।

वर्तमान स्वरूप

- राधाकृष्णन आयोग (1948), मुदलियार आयोग (1952-53), कोठारी आयोग (1964-66), और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) ने प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की सिफारिश की थी।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा रूपरेखा 2023 ने मातृभाषा या घर की भाषा को कम से कम कक्षा 5 तक और अधिमानतः कक्षा 8 या उससे आगे तक शिक्षा का माध्यम बनाने का समर्थन करती है।
- यह निम्नलिखित द्वारा समर्थित है:
 - शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, जो ‘जहाँ तक संभव हो’ मातृभाषा में शिक्षा का प्रावधान करता है।
 - निपुण भारत, विद्या प्रवेश, और निष्ठा FLN जैसी पहलें, जो देशी भाषाओं के माध्यम से बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देती हैं।
 - CBSE की हालिया पहल जिसमें 52 भारतीय भाषाओं (जैसे भूटिया, कुकी, और शेरपा जैसी जनजातीय भाषाएँ) में भाषा मानचित्रण और क्षेत्रीय भाषा की प्रारंभिक पुस्तकों को बढ़ावा दिया गया है।

मातृभाषा में शिक्षा के पक्ष में तर्क

- संज्ञानात्मक और शैक्षणिक लाभ:
 - बच्चे उस भाषा में पढ़ाई करते समय बेहतर समझ पाते हैं जिसे वे जन्म से जानते हैं।

Challenges

- Teacher's language and students understanding
- Migrant students from one state to other state
- Lack of contents in the languages
- Continuous training of teachers
- Difference in the curriculum of each state
- Science in mother tongue lack of textbooks

- अध्ययनों से पता चलता है कि मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा से आलोचनात्मक सोच, साक्षरता और समस्या-समाधान कौशल में सुधार होता है।
- सांस्कृतिक पहचान और आत्मविश्वासः:**
 - अपनी भाषा में सीखना आत्म-सम्मान, सांस्कृतिक गर्व और पहचान की भावना को सुदृढ़ करता है।
 - यह भाषाई विविधता और स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों को संरक्षित करने में सहायता करता है।
- बेहतर शैक्षणिक परिणामः:**
 - UNESCO और UNICEF की रिपोर्ट के अनुसार, मातृभाषा में पढ़ने वाले छात्र प्रारंभिक कक्षाओं में पठन समझ और गणितीय कौशल में बेहतर प्रदर्शन करते हैं।
 - यह ड्रॉपआउट दर को कम करता है और कक्षा में भागीदारी को बढ़ाता है।

मातृभाषा में शिक्षा के विरोध में तर्क

- वैश्विक प्रतिस्पर्धा में कमीः**
 - क्षेत्रीय भाषाओं पर अत्यधिक बल देने से अंग्रेजी दक्षता में कमी आ सकती है, जो उच्च शिक्षा और वैश्विक रोजगार बाजार के लिए आवश्यक है।
- कार्यान्वयन की चुनौतियाँः**
 - भाषाई विविधता वाले क्षेत्रों में एकल ‘मातृभाषा’ का चयन करना कठिन होता है।
 - स्थानीय भाषाओं में दक्ष शिक्षकों और गुणवत्तापूर्ण पाठ्यपुस्तकों की कमी है।
- संक्रमण की कठिनाइयाँः**
 - छात्र जब उच्च कक्षाओं में अंग्रेजी या अन्य भाषाओं में स्थानांतरित होते हैं, तो उन्हें विशेष रूप से विज्ञान और तकनीकी विषयों में कठिनाई होती है।
 - कुछ छात्र अपनी मातृभाषा पर अत्यधिक निर्भर हो जाते हैं और दूसरी भाषा का उपयोग करने से बचते हैं, जिससे उनकी द्वितीय भाषा में दक्षता सीमित हो जाती है।

आगे की राह

- मातृभाषा से शुरू होकर धीरे-धीरे अंग्रेजी को शामिल करते हुए द्विभाषिक शिक्षा को बढ़ावा देना।

- शिक्षकों के प्रशिक्षण और बहुभाषी संसाधनों में निवेश करना।
- क्षेत्रीय स्वायत्ता का सम्मान करते हुए राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ सामंजस्य बनाए रखना।

Source: TH

ब्राज़ील में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन

संदर्भ

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने BRICS शिखर सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित किया, जिसका विषय था: 'बहुपक्षवाद, आर्थिक-वित्तीय मामलों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को सुदृढ़ बनाना'।

BRICS शिखर सम्मेलन की प्रमुख झलकियाँ

- शिखर सम्मेलन में अपनाए गए BRICS नेताओं के घोषणापत्र में भारत की प्रमुख चिंताओं को दर्शाया गया, विशेष रूप से सीमा-पार आतंकवाद और वैश्विक शासन सुधारों पर।
- प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व की अधिकांश जनसंख्या को प्रमुख वैश्विक संस्थाओं में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है।
- उन्होंने अंतरराष्ट्रीय निर्णय-निर्माण में विकासशील देशों की अधिक भागीदारी की आवश्यकता पर बल दिया।
- उन्होंने बहुधर्मीय विश्व में BRICS को अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता पर बल दिया।

PM मोदी के चार प्रमुख सुझाव:

- प्रणालियों में सुधार:
 - निर्णय-निर्माण को मांग-आधारित बनाना, दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना और क्रेडिट रेटिंग को स्वस्थ बनाए रखना।
- सहयोगी पहल:
 - एक BRICS विज्ञान और अनुसंधान भंडार (Repository) बनाने का प्रस्ताव, जिससे ग्लोबल साउथ के देश भी लाभान्वित हो सकें।
- लचीली आपूर्ति श्रृंखला:
 - विशेष रूप से महत्वपूर्ण खनिजों और प्रौद्योगिकी के लिए आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित और लचीला बनाने की आवश्यकता पर बल।

उत्तरदायी AI:

- भारत की 'AI for All' की भावना के तहत, कृत्रिम बुद्धिमत्ता को मानव मूल्यों और क्षमताओं को बढ़ाने के उपकरण के रूप में उपयोग करने का समर्थन।

BRICS के बारे में

- BRICS एक संक्षिप्त नाम है जो पाँच प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं को दर्शाता है: ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका।
- मिस्र, इथियोपिया, ईरान, इंडोनेशिया, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात अब BRICS के नए पूर्ण सदस्य बन चुके हैं।
- यह शब्द 2001 में अर्थशास्त्री जिम ओ'नील द्वारा गढ़ा गया था।
- उत्पत्ति:**
 - BRIC के रूप में यह समूह 2006 में रूस, भारत और चीन के नेताओं की G8 आउटरिच शिखर सम्मेलन के दौरान सेंट पीटर्सबर्ग में हुई बैठक से शुरू हुआ।
 - 2006 में UNGA के दौरान BRIC विदेश मंत्रियों की प्रथम बैठक में इसे औपचारिक रूप दिया गया।
 - 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद इसे BRICS कहा जाने लगा।
- शिखर सम्मेलन:**
 - BRICS देशों की सरकारें 2009 से प्रत्येक वर्ष औपचारिक शिखर सम्मेलनों में मिलती रही हैं।
 - BRICS तीन स्तंभों के अंतर्गत प्रमुख मुद्दों पर विचार करता है:
 - राजनीतिक और सुरक्षा
 - आर्थिक और वित्तीय
 - सांस्कृतिक और जन-से-जन संपर्क
- न्यू डेवलपमेंट बैंक:**
 - पूर्व में BRICS विकास बैंक के रूप में जाना जाता था।
 - यह एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जो सार्वजनिक या निजी परियोजनाओं को क्रण, गारंटी, इक्विटी भागीदारी और अन्य वित्तीय साधनों के माध्यम से समर्थन देता है।

BRICS की बढ़ती प्रासंगिकता

- रणनीतिक स्वायत्तता का मंच:
 - ▲ BRICS भारत को एक गैर-पश्चिमी बहुपक्षीय मंच प्रदान करता है, जिससे वह वैश्विक शक्तियों से जुड़ सकता है बिना किसी एक गुट के साथ पूरी तरह से जुड़ने के।
- समूह की सुदृढ़ता:
 - ▲ नए देशों के शामिल होने से यह समूह अब विश्व की लगभग आधी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा, जिसमें सऊदी अरब, UAE और ईरान जैसे प्रमुख तेल उत्पादक देश शामिल हैं।
- मध्य पूर्व पर ध्यान:
 - ▲ सऊदी अरब, ईरान, UAE और मिस्र के शामिल होने से मध्य पूर्व पर केंद्रित भू-आर्थिक, भू-रणनीतिक और भू-राजनीतिक प्रभाव उत्पन्न होंगे।
- वैश्विक शासन के लिए आवाज़:
 - ▲ यह समूह अब विश्व की जनसंख्या और अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा दर्शाता है, जिससे यह वैश्विक शासन संरचनाओं में सुधार की एक प्रभावशाली आवाज़ बन सकता है।
 - ▲ भारत BRICS के अंदर ग्लोबल साउथ की प्रमुख आवाज़ के रूप में अपनी स्थिति सुदृढ़ कर रहा है।
- बहुपक्षीय सुधार की पहल:
 - ▲ एक बड़ा BRICS संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में सुधार की मांग को बल देता है, जहाँ भारत स्थायी सदस्यता चाहता है।
- चीन के प्रभुत्व का संतुलन:
 - ▲ व्यापक सदस्यता चीन के प्रभुत्व को कम कर सकती है।
 - ▲ भारत नए सदस्यों के साथ गठबंधन बनाकर संतुलित एजेंडा को बढ़ावा दे सकता है और एकतरफा निर्णयों को रोक सकता है।

चुनौतियाँ

- आंतरिक भू-राजनीतिक तनाव:
 - ▲ भारत-चीन सीमा विवाद द्विपक्षीय विश्वास को प्रभावित करता है।

शक्ति और प्रभाव में असमानता:

- ▲ चीन की आर्थिक प्रधानता निर्णय-निर्माण में असंतुलन उत्पन्न करती है।

एकीकृत दृष्टिकोण की कमी:

- ▲ BRICS के पास एक समान विचारधारा या रणनीतिक समरसता नहीं है, केवल बहुपक्षवाद और विकास जैसे व्यापक विषयों पर सहमति है।

संस्थागत सीमाएँ:

- ▲ BRICS का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है, जिससे समन्वय अस्थायी और घूर्णन अध्यक्षता पर निर्भर रहता है।

- ▲ सीमित प्रवर्तन तंत्र घोषणाओं और प्रतिबद्धताओं के कार्यान्वयन को कमज़ोर करता है।

आर्थिक विषमताएँ:

- ▲ सदस्य देश विभिन्न आर्थिक विकास चरणों में हैं और उनकी चुनौतियाँ भिन्न हैं, जिससे साझा आर्थिक लक्ष्य या व्यापार नीतियाँ बनाना कठिन होता है।

बाहरी गठबंधनों का प्रभाव:

- ▲ भारत की पश्चिमी देशों और इंडो-पैसिफिक ढाँचों से भागीदारी।

- ▲ यूक्रेन संघर्ष के बाद रूस की चीन पर बढ़ती निर्भरता।

- ▲ ये बदलाव आंतरिक एकता को जटिल बनाते हैं और दीर्घकालिक सामंजस्य पर प्रश्न उठाते हैं।

विस्तार से जुड़ी चुनौतियाँ:

- ▲ नए सदस्यों का समावेश विविधता बढ़ाता है लेकिन समन्वय को जटिल बनाता है और मूल फोकस को कमज़ोर कर सकता है।

आगे की राह

- BRICS के पास ग्लोबल साउथ की आवाज़ और बहुध्युवीयता के मंच के रूप में महत्वपूर्ण संभावनाएँ हैं, लेकिन यह गंभीर संरचनात्मक, राजनीतिक और संस्थागत चुनौतियों का सामना करता है।
- इन चुनौतियों से निपटने के लिए साझा रणनीतिक दृष्टिकोण, संस्थागत सुदृढ़ीकरण और आंतरिक कूटनीति की आवश्यकता होगी — विशेष रूप से भारत, चीन एवं रूस जैसे प्रमुख खिलाड़ियों के बीच।

- चूंकि BRICS सामान्य सहमति आधारित निर्णय-निर्माण पर चलता है, इसलिए 11 देशों के बीच सहमति बनाना — जिनकी अर्थव्यवस्थाएँ, भौगोलिक स्थितियाँ और हित विविध हैं — मूल पाँच सदस्यों की तुलना में कहीं अधिक कठिन है।
- दीर्घकालिक प्रभावशीलता और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए, BRICS को ऐसे लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिन्हें प्राप्त करना अपेक्षाकृत आसान हो।

Source: TH


विश्व के सर्वाधिक समान समाजों में भारत चौथे स्थान पर

संदर्भ

- विश्व बैंक के अनुसार, भारत का गिनी सूचकांक 25.5 है, जिससे यह विश्व का चौथा सबसे समान देश बन गया है।

प्रमुख विशेषताएँ

- भारत को स्लोवाक गणराज्य, स्लोवेनिया और बेलारूस के बाद स्थान मिला है।
 - भारत का स्कोर चीन (35.7) से काफी कम है और अमेरिका (41.8) से बहुत ही कम है।
- भारत “मध्यम रूप से निम्न” असमानता श्रेणी में आता है, जिसमें गिनी स्कोर 25 से 30 के बीच होता है।
- विश्व बैंक द्वारा जिन 167 देशों के लिए डेटा जारी किया गया है, उनमें भारत का स्कोर सबसे बेहतर है।



गरीबी में कमी:


- 2022-23 में अत्यधिक गरीबी घटकर 2.3% रह गई।

- 2011 से 2023 के बीच 17.1 करोड़ भारतीय अत्यधिक गरीबी से बाहर निकले।

गिनी सूचकांक

- गिनी सूचकांक यह दर्शाता है कि किसी देश में आय, संपत्ति या उपभोग कितनी समान रूप से व्यक्तियों या परिवारों में वितरित है।
- इसका मान 0 से 100 के बीच होता है।
 - 0 का अर्थ है पूर्ण समानता
 - 100 का अर्थ है पूर्ण असमानता
- जितना अधिक गिनी सूचकांक, उतनी अधिक असमानता।
- लॉरेंज वक्र:**
 - ग्राफ के माध्यम से गिनी सूचकांक को लॉरेंज वक्र द्वारा समझाया जा सकता है।
 - यह वक्र कुल आय के संचयी प्रतिशत को सबसे गरीब व्यक्ति या परिवार से शुरू करते हुए प्राप्तकर्ताओं की संचयी संख्या के विरुद्ध दर्शाता है।
 - पूर्ण समानता एक विकर्ण रेखा द्वारा दर्शाई जाती है, जबकि वास्तविक वितरण लॉरेंज वक्र द्वारा।
 - गिनी सूचकांक लॉरेंज वक्र और पूर्ण समानता की रेखा के बीच के क्षेत्र को मापता है।
 - अंतर जितना बड़ा होगा, असमानता उतनी अधिक होगी।

A Typical Lorenz Curve



प्रमुख सरकारी पहलें

प्रधानमंत्री जन धन योजना:

- 2025 तक 55.69 करोड़ से अधिक लोग जन धन खाते रखेंगे, जिससे उन्हें सरकारी लाभ और औपचारिक बैंकिंग सेवाओं तक सीधी पहुँच मिलेगी।

आधार और डिजिटल पहचान:

- यह प्रणाली लाभार्थियों तक सही समय पर और सही व्यक्ति को लाभ पहुँचाने के लिए कल्याण वितरण की रीढ़ है।

डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT):

- इस प्रणाली ने कल्याण भुगतान को सुव्यवस्थित किया है, जिससे रिसाव और देरी में कमी आई है।

आयुष्मान भारत:

- यह योजना प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करती है।
- आयुष्मान वय वंदना योजना के माध्यम से 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को आय की परवाह किए बिना यह कवरेज दिया गया है।
- आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ने इस प्रयास को और मजबूत किया है, जिसमें 79 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य खाते बनाए गए हैं।

स्टैंड-अप इंडिया:

- समावेशी उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए यह योजना SC/ST और महिला उद्यमियों को ₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक के ऋण प्रदान करती है।
- यह पहल वंचित समुदायों के लोगों को अपनी शर्तों पर आर्थिक विकास में भाग लेने का अवसर देती है।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY):

- COVID-19 महामारी के दौरान शुरू की गई यह योजना अब भी समाज के सबसे कमजोर वर्गों की सेवा कर रही है।

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना:

- पारंपरिक कारीगर और शिल्पकार भारत की आर्थिक और सांस्कृतिक संरचना के लिए महत्वपूर्ण हैं।

- यह योजना उन्हें बिना गारंटी के ऋण, टूलकिट, डिजिटल प्रशिक्षण और विपणन सहायता प्रदान करती है।

निष्कर्ष

- भारत की आय समानता की दिशा में यात्रा स्थिर और केंद्रित रही है।
- गिनी सूचकांक 25.5 लोगों के जीवन में वास्तविक परिवर्तन को दर्शाता है।
- जब विश्व ऐसे मॉडल की खोज कर रहा है जो विकास और न्याय को एक साथ जोड़ सके, भारत का उदाहरण सबसे अलग है।
- भारत का अनुभव यह दिखाता है कि समानता और विकास अलग-अलग लक्ष्य नहीं हैं, बल्कि एक-दूसरे के पूरक हैं।

Source: AIR

सहकारिता: भारत की आर्थिक रीढ़

संदर्भ

- केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने गुजरात के आनंद में भारत के प्रथम राष्ट्रीय स्तर के सहकारी विश्वविद्यालय 'त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय' (TSU) की आधारशिला रखी।
- उन्होंने यह भी कहा कि सहकारी समितियों का देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है।

सहकारी समितियाँ क्या हैं?

- एक सहकारी संस्था (या को-ऑप) एक ऐसा संगठन या व्यवसाय होता है जो समान रुचि, लक्ष्य या आवश्यकता साझा करने वाले व्यक्तियों के समूह द्वारा स्वामित्व और संचालन किया जाता है।
- इन व्यक्तियों को सदस्य कहा जाता है, और वे सामान्यतः "एक सदस्य, एक वोट" के सिद्धांत पर संस्था की गतिविधियों और निर्णय-निर्माण में भाग लेते हैं, भले ही उन्होंने कितना भी पूँजी या संसाधन योगदान दिया हो।
- सहकारी संस्था का मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों की आर्थिक, सामाजिक या सांस्कृतिक आवश्यकताओं को पूरा करना होता है, न कि बाहरी शेयरधारकों के लिए अधिकतम लाभ कमाना।

भारत में सहकारी समितियों के प्रकार

- **कृषि सहकारी समितियाँ:**
 - ▲ **डेयरी सहकारी समितियाँ:** दुध उत्पादों के सामूहिक उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन पर केंद्रित (जैसे अमूल)।
 - ▲ **किसान सहकारी समितियाँ:** बीज, उर्वरक, कृषि उपकरण जैसी सेवाएँ प्रदान करती हैं और फसल के विपणन व प्रसंस्करण में सहायता करती हैं।
 - ▲ **मछुआरे सहकारी समितियाँ:** मछुआरों को संसाधनों के प्रबंधन और सामूहिक विपणन में सहायता करती हैं।
- **उपभोक्ता सहकारी समितियाँ:**
 - ▲ ये समितियाँ उचित मूल्य पर वस्तुएँ और सेवाएँ प्रदान करती हैं, जिससे मध्यस्थों पर निर्भरता कम होती है।
 - ▲ उदाहरण: उपभोक्ता स्टोर और उचित मूल्य की दुकानें।
- **श्रमिक सहकारी समितियाँ:**
 - ▲ इनमें श्रमिक ही व्यवसाय के मालिक एवं प्रबंधक होते हैं, और लाभ व निर्णयों में भागीदारी करते हैं।
 - ▲ उदाहरण: लघु उद्योग या कारीगर सहकारी समितियाँ।
- **क्रेडिट सहकारी समितियाँ:**
 - ▲ सहकारी बैंक और क्रेडिट सोसायटीज़ ग्रामीण एवं वंचित क्षेत्रों में बचत, क्रण और वित्तीय सेवाएँ प्रदान करती हैं।
- **आवासीय सहकारी समितियाँ:**
 - ▲ ये समितियाँ सामूहिक रूप से आवास परियोजनाओं का निर्माण या प्रबंधन करती हैं, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में किफायती आवास प्रदान करती हैं।

97वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2011

- सहकारी समितियों के गठन के अधिकार को मूल अधिकार (अनुच्छेद 19) के रूप में मान्यता दी गई।
- सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए एक नया राज्य नीति निदेशक सिद्धांत (अनुच्छेद 43-बी) जोड़ा गया।

- संविधान में “सहकारी समितियाँ” शीर्षक से एक नया भाग IX-B (अनुच्छेद 243-ZH से 243-ZT) जोड़ा गया।
- संसद को बहु-राज्य सहकारी समितियों (MSCS) के लिए और राज्य विधानसभाओं को अन्य सहकारी समितियों के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया।

भारत की आर्थिक रीढ़ के रूप में सहकारी समितियाँ

- **सशक्तिकरण:**
 - ▲ सहकारी समितियाँ छोटे किसानों, कारीगरों, मछुआरों, महिलाओं और श्रमिकों को सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति देती हैं।
 - ▲ उदाहरण: अमूल ने लाखों डेयरी किसानों को सशक्ति किया है, जिनमें से कई भूमिहीन या सीमांत किसान हैं।
- **ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना:**
 - ▲ भारत की 65% से अधिक जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है।
 - ▲ सहकारी समितियाँ क्रण, इनपुट, विपणन और बुनियादी ढाँचे का समर्थन प्रदान करती हैं।
 - ▲ PACS (प्राथमिक कृषि क्रण समितियाँ) ग्रामीण भारत में क्रण वितरण का प्रथम बिंदु हैं।
- **आत्मनिर्भरता को बढ़ावा:**
 - ▲ सहकारी समितियाँ स्थानीय संसाधनों को एकत्र कर उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन में उपयोग करती हैं, जिससे मध्यस्थों और बड़ी कंपनियों पर निर्भरता कम होती है।

सहकारी समितियों के लिए कानूनी ढाँचा और समर्थन

- भारत में सहकारी समितियाँ सहकारी समितियों अधिनियम द्वारा शासित होती हैं, जो राज्य और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर लागू होता है।
- **बहु-राज्य सहकारी समितियाँ अधिनियम (2002):**
 - ▲ यह कानून उन सहकारी समितियों को नियंत्रित करता है जो एक से अधिक राज्यों में कार्य करती हैं।
- **राष्ट्रीय सहकारी नीति (2002):**
 - ▲ सहकारी आंदोलन के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के उद्देश्य से बनाई गई, यह नीति शासन,

सदस्य भागीदारी और वित्तीय स्थिरता में सुधार पर केंद्रित है।

- **सहकारिता मंत्रालय (2021):**
 - ▲ यह मंत्रालय भारत में सहकारी समितियों के विकास को समर्थन देने, उनके शासन में सुधार और वित्तीय सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है।

भारत में सहकारी समितियों की सफलता की कहानियाँ

- **अमूल (गुजरात):**
 - ▲ अमूल एक डेयरी सहकारी संस्था है जिसने भारत के डेयरी क्षेत्र को बदल दिया और लाखों छोटे किसानों को सशक्त किया।
- **महाराष्ट्र की सिंचाई सहकारी समितियाँ:**
 - ▲ जल उपयोगकर्ता संघों और सहकारी समितियों ने सिंचाई के लिए जल संसाधनों का सफलतापूर्वक प्रबंधन किया, जिससे किसानों को बेहतर उपज मिली।
- **केरल का सहकारी आंदोलन:**
 - ▲ केरल में बैंकिंग, कृषि, उपभोक्ता वस्तुएँ और आवास जैसे क्षेत्रों में मजबूत सहकारी समितियाँ हैं, जो भारत में सबसे सफल मानी जाती हैं।

चुनौतियाँ

- **कमज़ोर शासन:**
 - ▲ खराब प्रबंधन, भ्रष्टाचार एवं राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण पारदर्शिता और दक्षता की कमी होती है।
- **सीमित ऋण पहुँच:**
 - ▲ कई सहकारी समितियाँ वित्तीय संसाधनों की कमी का सामना करती हैं, जिससे उनका विस्तार या सुधार बाधित होता है।
- **निजी क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा:**
 - ▲ खुदरा और कृषि जैसे क्षेत्रों में बड़ी निजी कंपनियों और बहुराष्ट्रीय निगमों से कठोर प्रतिस्पर्धा होती है।
- **प्रौद्योगिकी की कमी:**
 - ▲ विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कई सहकारी समितियाँ आधुनिक तकनीक तक पहुँच से वंचित हैं या नई प्रणालियाँ अपनाने में धीमी हैं।

निष्कर्ष

- सहकारी समितियाँ केवल आर्थिक संस्थाएँ नहीं हैं, बल्कि भारत के समावेशी और सहभागी विकास की दृष्टि के केंद्र में हैं।
- सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के साथ-साथ इस तीसरे आर्थिक स्तंभ को सशक्त बनाना आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक है।

Source: AIR/ TH

भारत में घरेलू बचत में गिरावट पर चिंता संदर्भ

- भारत एक संरचनात्मक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, जिसे घटती शुद्ध वित्तीय बचत, बढ़ते घरेलू ऋण और परिसंपत्तियों की बदलती संरचना से पहचाना जा रहा है।

घरेलू बचत क्या है?

- घरेलू बचत वह अंतर होती है जो किसी परिवार की शुद्ध व्यय योग्य आय और उसके कुल उपभोग व्यय (जिसमें कर और ऋण भुगतान शामिल हैं) के बीच होता है।
- यह दर्शाता है कि कोई परिवार वर्तमान उपभोग को टालकर भविष्य की सुरक्षा, निवेश या आपात स्थितियों के लिए कितनी बचत कर सकता है।

घरेलू बचत में हालिया प्रवृत्तियाँ

- भारत की सकल घरेलू बचत दर 2011–12 में GDP के 34.6% से घटकर 2022–23 में 29.7% हो गई — जो चार दशकों में सबसे कम है।
- घरेलू वित्तीय बचत GDP के प्रतिशत के रूप में 2020–21 में 11.5% से घटकर 2022–23 में 5.1% हो गई।
 - ▲ इसके साथ ही, घरेलू देनदारियाँ FY24 में GDP के 6.4% तक पहुँच गईं — जो 17 वर्षों में उच्चतम स्तर के निकट है।
- **ग्रामीण–शहरी बचत व्यवहार में अंतर:**
 - ▲ शहरी परिवारों की वित्तीय भागीदारी अधिक है क्योंकि उन्हें बेहतर पहुँच और वित्तीय साक्षरता प्राप्त है।
 - ▲ ग्रामीण परिवार अक्सर अनौपचारिक बचत पर निर्भर रहते हैं और आय में आघातों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं।

- निवेश में बदलाव:

- म्यूचुअल फंड और इक्विटी में घरेलू निवेश ₹1.02 लाख करोड़ (FY21) से बढ़कर ₹2.02 लाख करोड़ (FY23) हो गया।

घरेलू आय में गिरावट के प्रमुख कारण

- व्यापक आर्थिक कारक:

- लगातार उच्च मुद्रास्फीति ने घरेलू क्रय शक्ति को कम किया है।
- फिशर डायनामिक्स के अनुसार, बढ़ती ब्याज दरें और धीमी नाममात्र आय वृद्धि ने बचत की क्षमता को घटाया है।

- वास्तविक वेतन में गिरावट:

- विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र में वास्तविक वेतन वृद्धि स्थिर रही है।
- युवाओं में बेरोजगारी और अल्प-रोजगार ने आय वृद्धि को सीमित किया है।

- ब्याज दरों में गिरावट:

- बैंक जमा और लघु बचत योजनाओं पर वास्तविक ब्याज दरें कम होने से पारंपरिक बचत हतोत्साहित हुई हैं।

- उपभोग और निवेश पैटर्न में बदलाव:

- कोविड के बाद उपभोग में तीव्रता आई, जिससे उपभोग, आवास और शिक्षा के लिए उधारी बढ़ी।
- अब परिवार उच्च जोखिम वाले परिसंपत्तियों जैसे इक्विटी और म्यूचुअल फंड की ओर बढ़ रहे हैं। SIP योगदान ₹3,122 करोड़ (2016) से बढ़कर ₹26,632 करोड़ (2025) हो गया — 8.5 गुना वृद्धि।

- आकांक्षात्मक व्यय में वृद्धि:

- शहरी मध्यम वर्ग अब जीवनशैली उत्पादों, विदेशी यात्रा आदि पर अधिक व्यय कर रहा है।
- वर्तमान में जीने की यह सांस्कृतिक प्रवृत्ति पारंपरिक बचत व्यवहार को कमजोर कर रही है।

घरेलू बचत में गिरावट को लेकर चिंताएँ

- निवेश के लिए पूँजी में कमी:

- घरेलू बचत भारत की सकल घरेलू बचत का लगभग 60% योगदान देती है।

- इसमें गिरावट से बुनियादी ढाँचे और औद्योगिक निवेश के लिए घरेलू पूँजी का भंडार घटता है।

- घरेलू क्रण में वृद्धि:

- बढ़ती देनदारियों और घटती बचत के कारण परिवारों पर वित्तीय दबाव बढ़ रहा है।
- लंबे समय तक क्रण बोझ बना रहने से क्रेडिट रेटिंग प्रभावित हो सकती है और बैंकिंग क्षेत्र पर डिफॉल्ट का खतरा बढ़ सकता है।

- वित्तीयकरण का जोखिम:

- बचत का अत्यधिक वित्तीयकरण उत्पादक निवेश को हटाकर सद्वा बाजारों की ओर मोड़ सकता है।

- अपर्याप्त सेवानिवृत्ति सुरक्षा:

- दीर्घकालिक बचत में गिरावट से वृद्धावस्था की तैयारी खतरे में पड़ सकती है।
- यदि वृद्ध जनसंख्या के पास पर्याप्त बचत नहीं होगी, तो भविष्य में राज्य पर वित्तीय दबाव बढ़ेगा।

घरेलू बचत को पुनर्निर्मित करने के लिए नीति रोडमैप

- राजकोषीय और कर सुधार:

- पूँजीगत लाभ कर और बचत से संबंधित कर ढाँचों को तर्कसंगत बनाना।
- PPF और KVP जैसी लघु बचत योजनाओं पर कर छूट या गारंटीकृत रिटर्न देना।

- वित्तीय समावेशन का विस्तार:

- असंगठित श्रमिकों के लिए ऑटो-एनरोलमेंट के साथ राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) को सार्वभौमिक बनाना।
- ग्रामीण और असंगठित क्षेत्र के परिवारों के लिए अनुकूलित माइक्रो-सेविंग उत्पादों को बढ़ावा देना।

- नियामक निगरानी को सुदृढ़ करना:

- डिजिटल क्रण, म्यूचुअल फंड और बीमा योजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना।
- असुरक्षित क्रण मानदंडों को सख्त करना ताकि चक्रीय क्रण वृद्धि को रोका जा सके।

- प्रौद्योगिकी नवाचार:

- माइक्रो-सेविंग के लिए फिनटेक प्लेटफॉर्म, AI आधारित वित्तीय परामर्श, और सुरक्षित बचत साधनों के लिए ब्लॉकचेन का उपयोग करना।

- ↗ डिफॉल्ट सेविंग एनरोलमेंट और रिमाइंडर जैसे व्यवहारिक संकेतों का उपयोग कर नियमित बचत को बढ़ावा देना।
- **संस्थागत समन्वय:**
 - ↗ मापनीय लक्ष्यों के साथ घरेलू बचत पर एक राष्ट्रीय रणनीति विकसित करना।
 - ↗ ग्रामीण भारत की मौसमी आय और सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाओं को ध्यान में रखते हुए वित्तीय उत्पादों और जागरूकता अभियानों को अनुकूलित करना।

Source: [TH](#)

भारत के विदेशी व्यापार में 'अदृश्य शक्ति'

समाचार में

- विंगत दो दशकों में भारत के विदेशी व्यापार की संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है, जहाँ अब “अदृश्य” तत्व—सेवाओं का निर्यात और प्रवासी भारतीयों द्वारा भेजी गई धनराशि—भौतिक वस्तुओं की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

भारत का सेवा क्षेत्र

- भारत का सेवा क्षेत्र व्यापार, होटल और रेस्तरां, परिवहन, भंडारण एवं संचार, वित्त, बीमा, रियल एस्टेट, व्यावसायिक सेवाएँ, सामुदायिक, सामाजिक और व्यक्तिगत सेवाएँ, तथा निर्माण से जुड़ी सेवाओं जैसी विविध गतिविधियों को शामिल करता है।
- आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25, जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रस्तुत किया, सेवा क्षेत्र को भारत की अर्थव्यवस्था का ‘पुराना योद्धा’ (Old War Horse) बताते हुए घरेलू और वैश्विक दोनों स्तरों पर विकास का प्रमुख चालक बताया है।

वर्तमान स्थिति

- सेवा क्षेत्र ने GDP वृद्धि में लगातार योगदान दिया है, FY25 में भारत के सकल मूल्य वर्धन (GVA) में इसका योगदान लगभग 55% रहा, जो FY14 में 50.6% था।
- इस क्षेत्र ने विंगत एक दशक में महामारी को छोड़कर प्रत्येक वर्ष 6% से अधिक की औसत वृद्धि दर बनाए

रखी है, और महामारी के बाद यह वृद्धि 8.3% तक पहुँच गई है।

- यह क्षेत्र लगभग 30% कार्यबल को रोजगार देता है और ‘सर्विसिफिकेशन’ (सेवाओं का औद्योगिक प्रक्रियाओं में एकीकरण) के माध्यम से विनिर्माण को भी बढ़ावा देता है।
- वैश्विक सेवाओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है, और अब यह 4.3% बाजार हिस्सेदारी के साथ विश्व में सातवें स्थान पर है।
- FY25 (अप्रैल-सितंबर) में भारत सेवाओं के निर्यात में वृद्धि के मामले में शीर्ष पाँच देशों में बना रहा।
- FY24 में 5.7% की तुलना में FY25 (अप्रैल-नवंबर) में भारत की सेवाओं के निर्यात में वृद्धि 12.8% रही।
- कंप्यूटर सेवाएँ और व्यावसायिक सेवाएँ भारत के कुल सेवा निर्यात का लगभग 70% हिस्सा रखती हैं।

संभावनाएँ

- भारत ज्ञान-आधारित सेवाओं के कारण अद्वितीय कौशल और प्रतिस्पर्धात्मक लाभ के साथ एक अनोखा उभरता हुआ बाजार है।
- स्मार्ट सिटी, स्वच्छ भारत और डिजिटल इंडिया जैसी सरकारी पहलों से समर्थित सेवा उद्योग एक ऐसा वातावरण बना रहा है जो इस क्षेत्र को सशक्त कर रहा है।
- यह क्षेत्र बहु-ट्रिलियन डॉलर के अवसर प्रशस्त कर सकता है, जो सभी देशों के लिए सहजीवी (symbiotic) विकास को प्रोत्साहित कर सकता है।

चुनौतियाँ और समस्याएँ

- सेवा क्षेत्र को बुनियादी ढाँचे की कमी—विशेष रूप से डिजिटल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स—का सामना करना पड़ता है, जिससे शहरी क्षेत्रों के बाहर विकास सीमित हो जाता है।
- उच्च-मूल्य सेवाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण की कमी के कारण कौशल की भारी कमी है, जिससे उत्पादकता और नवाचार प्रभावित होते हैं।
- जटिल नियम और वैश्विक बाजारों तक सीमित पहुँच निर्यात वृद्धि को बाधित करते हैं।

- यह क्षेत्र वैश्विक आर्थिक उतार-चढ़ाव के प्रति भी संवेदनशील बना रहता है।

सरकार के प्रयास

- भारत सरकार स्वास्थ्य, पर्यटन, शिक्षा, आईटी, बैंकिंग और वित्त जैसे प्रमुख क्षेत्रों में विभिन्न प्रोत्साहनों और लक्षित पहलों के माध्यम से सेवा क्षेत्र में वृद्धि को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है।
- ‘सेवाओं के चैंपियन क्षेत्रों के लिए कार्य योजना’ के अंतर्गत 12 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को लक्षित किया गया है, जिसमें पर्यटन से 2028 तक \$50.9 बिलियन की आय की संभावना है।
- देश में 1,000 से अधिक विश्वविद्यालय हैं, जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षा और कौशल विकास को समर्थन देते हैं।
- प्रधानमंत्री जन धन योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से वित्तीय समावेशन को सशक्त किया गया है, जिसके तहत 47 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए हैं।
- सरकार उत्पादन आधारित प्रोत्साहनों और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के माध्यम से विनिर्माण और स्वास्थ्य ढाँचे को भी समर्थन दे रही है।
- बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाकर निवेश को प्रोत्साहित किया गया है।

निष्कर्ष और आगे की राह

- भारत का सेवा क्षेत्र विकास और रोजगार के लिए सुदृढ़ एवं आवश्यक बना हुआ है।
- सेवाओं पर आधारित अधिशेष और प्रवासी धनराशि ने भारत के चालू खाता घाटे को प्रबंधनीय बनाए रखा है।
- यह परिवर्तन इस बात को रेखांकित करता है कि भारत अब “विश्व का कार्यालय” बनकर उभर रहा है, जहाँ भौतिक वस्तुओं के व्यापार की तुलना में अदृश्य सेवाओं का प्रवाह अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
- बुनियादी ढाँचे में सुधार, कौशल वृद्धि, नियमों को सरल बनाना और वैश्विक बाजारों तक पहुँच बढ़ाना भारत को उसकी पूरी क्षमता तक पहुँचाने एवं वैश्विक सेवा नेतृत्व में उसकी भूमिका को तथा सुदृढ़ करने में सहायता कर सकते हैं।

Source :IE

संक्षिप्त समाचार

हेल्गोलैंड

समाचार में

- हेल्गोलैंड को क्वांटम यांत्रिकी (Quantum Mechanics) के जन्मस्थल के रूप में स्मरण किया जाता है।

हेल्गोलैंड

- यह उत्तर सागर में स्थित एक छोटा सा लाल बलुआ पत्थर का द्वीप है, जो जर्मनी के तट से लगभग 50 किमी दूर है।
- यह एक वर्ग किलोमीटर से भी कम क्षेत्रफल में फैला हुआ है।
- यह कभी एक नौसैनिक किला था और बाद में स्वस्थ्य वातावरण की खोज में आने वाले पर्यटकों के लिए एक अवकाश स्थल बन गया।

प्रासंगिकता

- हेल्गोलैंड भौतिकी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थल बन गया जब जून 1925 में 23 वर्षीय वर्नर हाइजेनबर्ग ने क्वांटम यांत्रिकी की नींव रखी।
- उन्होंने इलेक्ट्रॉनों के नाभिक के चारों ओर घूमने की पारंपरिक अवधारणाओं को त्याग दिया और केवल मापने योग्य आंकड़ों — जैसे परमाणुओं द्वारा अवशोषित या उत्सर्जित प्रकाश की आवृत्तियाँ और तीव्रताएँ — पर ध्यान केंद्रित किया।
- उन्होंने इन आंकड़ों को मैट्रिक्स (गणितीय सारणियों) के रूप में व्यवस्थित किया।
- जब उन्होंने देखा कि गुणा करने के क्रम का परिणाम पर प्रभाव पड़ता है, तो उन्होंने ऐसे समीकरण निकाले जो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम का सटीक वर्णन करते थे — और इसी के साथ मैट्रिक्स यांत्रिकी का विकास हुआ।
- इस क्रांतिकारी खोज के बाद मैक्स बॉर्न, पास्कुअल जॉर्डन और एर्विन श्रोडिंगर के योगदानों ने अनिश्चितता सिद्धांत (Uncertainty Principle) और क्वांटम सिद्धांत के अन्य प्रमुख विकासों को जन्म दिया, जो

आज लेजर और सेमीकंडक्टर जैसी आधुनिक तकनीकों की नींव हैं।

Source : TH

ताइवान जलडमरुमध्य

संदर्भ

- ताइवान ने ताइवान जलडमरुमध्य से होकर गुजरने वाले एक संवेदनशील विमानन मार्ग को खोलने के चीन के कदम की निंदा की है।
 - ताइवान ने चेतावनी दी है कि यह परिवर्तन दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ा सकता है और “क्षेत्रीय अस्थिरता” को उत्पन्न कर सकता है।

ताइवान जलडमरुमध्य के बारे में

- स्थान:** ताइवान जलडमरुमध्य, जिसे फॉर्मोसा जलडमरुमध्य या ताई-हाई (ताई सागर) भी कहा जाता है, मुख्य भूमि चीन (फुजियान प्रांत) को ताइवान द्वीप से अलग करता है।
- यह दक्षिण चीन सागर को पूर्वी चीन सागर से जोड़ता है और एक महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्ग है।
- इसकी चौड़ाई सबसे संकीर्ण बिंदु पर लगभग 180 किलोमीटर है।

भू-राजनीतिक तनाव

- चीन ताइवान को एक “विचलित प्रांत” (विद्रोही प्रांत) मानता है और द्वीप तथा जलडमरुमध्य पर अपना दावा करता है।
- यह क्षेत्र लंबे समय से चीन एवं ताइवान के बीच तनाव का केंद्र रहा है, और हालिया घटनाक्रमों ने इस तनाव में वृद्धि की है।



Source: TH

ब्लू नील

संदर्भ


- इथियोपिया ने ग्रैंड इथियोपियन रेनेसां डैम (GERD) के निर्माण को पूरा करने की घोषणा की है, जो ब्लू नील पर स्थित अफ्रीका का सबसे बड़ा जलविद्युत संयंत्र है।
 - यह परियोजना लंबे समय से मिस्र और सूडान के साथ तनाव का कारण रही है।

ब्लू नील के बारे में

- ब्लू नील की उत्पत्ति:** ब्लू नील की शुरुआत पूर्वी अफ्रीका के इथियोपियाई उच्चभूमि में स्थित टाना झील से होती है।
- यह खार्टूम (सूडान की राजधानी) में अल-मुकरीन नामक स्थान पर ब्लैट नील से मिलती है।
- इस संगम के बाद नदी उत्तर की ओर सूडान और मिस्र से होकर प्रवाहित होती है और अंततः भूमध्य सागर में जाकर मिल जाती है।

नील नदी

- नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, जो 11 देशों से होकर बहती है: कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, बुरुंडी, युगांडा, केन्या, दक्षिण सूडान, इथियोपिया, इरीट्रिया, रवांडा, तंजानिया, सूडान और मिस्र।



Source: BBC

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM)

समाचार में

- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) अप्रैल 2025 से कार्यरत नहीं है, क्योंकि इसके अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त हो गया है।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NMC)

- यह एक वैधानिक निकाय है जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के तहत स्थापित किया गया है।
- इसका मुख्य उद्देश्य भारत में अधिसूचित धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के हितों की रक्षा करना और उन्हें संरक्षित करना है। वर्तमान में इनमें शामिल हैं: मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी (ज़रथुष्टियन), और जैन।
- आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और पाँच सदस्य होते हैं, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है।
- इनमें से कम से कम पाँच सदस्य, जिनमें अध्यक्ष भी शामिल हैं, अल्पसंख्यक समुदायों से होने चाहिए।
- प्रत्येक सदस्य, जिसमें अध्यक्ष भी शामिल हैं, तीन वर्षों के लिए नियुक्त होता है और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होता है।
- जांच करते समय आयोग को दीवानी न्यायालय (सिविल कोर्ट) के समान अधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे कि:
- व्यक्तियों को समन जारी करना और उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करना।
- दस्तावेजों की प्रस्तुति की माँग करना।
- हलफनामों के रूप में साक्ष्य स्वीकार करना।
- न्यायालयों या कार्यालयों से सार्वजनिक अभिलेखों की माँग करना।

संवैधानिक संरक्षण

- अनुच्छेद 29:** यह धार्मिक और भाषाई दोनों प्रकार के अल्पसंख्यकों की संस्कृति, भाषा और लिपि को संरक्षित करने का अधिकार देता है। यह शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के समय विशेष आधारों पर भेदभाव को भी निषिद्ध करता है।
- अनुच्छेद 30:** यह अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रबंधन करने का अधिकार देता है, तथा उन्हें सरकारी सहायता प्राप्त करने में भेदभाव से सुरक्षा प्रदान करता है। यह धार्मिक एवं भाषाई दोनों प्रकार के अल्पसंख्यकों पर लागू होता है।

Source: TH

NMC द्वारा चिकित्सा शिक्षा के बुनियादी ढांचे पर नियमों में छूट

समाचार में

- राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने “चिकित्सा संस्थान (शिक्षकों की योग्यता) विनियम, 2025” जारी किए हैं।

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC)

- यह आयोग राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 के अंतर्गत स्थापित किया गया था, जो 25 सितंबर 2020 से प्रभावी हुआ और इसने भारतीय चिकित्सा परिषद (MCI) का स्थान लिया।
- इसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण और सुलभ चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देना तथा देशभर में कुशल चिकित्सा पेशेवरों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।
- यह समान एवं समुदाय-केंद्रित स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने, चिकित्सा अनुसंधान को प्रोत्साहित करने, और चिकित्सा संस्थानों का पारदर्शी मूल्यांकन करने के लिए कार्य करता है।
- यह एक राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर बनाए रखता है, चिकित्सा सेवाओं में उच्च नैतिक मानकों को बनाए रखता है, और प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करता है।

चिकित्सा संस्थान (शिक्षकों की योग्यता) विनियम, 2025

- यह विनियम केंद्र सरकार की पाँच वर्षों में 75,000 नई मेडिकल सीटें जोड़ने की योजना का समर्थन करते हैं।
- इसका उद्देश्य शिक्षकों की पात्रता का दायरा बढ़ाकर और MBBS तथा MD/MS सीटों के विस्तार को सक्षम बनाकर चिकित्सा शिक्षा को सुलभ बनाना है।

मुख्य प्रावधान

- 220 से अधिक बिस्तरों वाले गैर-शिक्षण सरकारी अस्पतालों को शिक्षण संस्थानों के रूप में नामित करना।
- अनिवार्य सीनियर रेजिडेंसी के बिना अनुभवी विशेषज्ञों को फैकल्टी के रूप में नियुक्त करना।

- M.Sc. और Ph.D. धारकों की नियुक्ति को अतिरिक्त विभागों में विस्तारित करना।
- प्रीक्लिनिकल और पैराक्लिनिकल विषयों में सीनियर रेजिडेंट की अधिकतम आयु सीमा को 50 वर्ष तक बढ़ाना।
- प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर पदों के लिए NBEMS-मान्यता प्राप्त संस्थानों में अनुभव के आधार पर अधिक लचीले मानदंड लागू करना।

प्रभाव

- NMC का कहना है कि ये विनियम कठोर मानदंडों से हटकर योग्यता, अनुभव और शैक्षणिक उत्कृष्टता पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
- नेशनल M.Sc. मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन ने इस कदम का स्वागत किया है।
- हालांकि, कुछ डॉक्टरों ने इसे शिक्षण मानकों में शिथिलता के रूप में आलोचना की है और चेतावनी दी है कि इससे चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता और रोगी देखभाल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

Source: TH

